



Neutral Citation No - 2026:AHC:28954-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 2026 की 504

अशोक एवं 6 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अखिलेश कुमार, विशाल जायसवाल

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. सर्वप्रथम, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि वर्तमान प्रकरण में अन्वेषण पूर्ण हो चुका है तथा याचिकाकर्तागण के विरुद्ध पुलिस आख्या प्रस्तुत की जा चुकी है।
3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्यों का खण्डन नहीं कर सके और उन्होंने यह कथन किया कि वे रिट याचिका को अनागृहीत रखना चाहते हैं तथा उचित स्तर पर समुचित मंच का द्वार खटखटाने की स्वतंत्रता सहित इसे प्रत्याहृत करने की प्रार्थना करते हैं।
4. किए गए कथन के दृष्टिगत, उपर्युक्त स्वतंत्रता प्रदान करते हुए यह रिट याचिका प्रत्याहृत के रूप में खारिज की जाती है।

9 फरवरी, 2026

के.एस.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"